निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 332) पटना, बुधवार, 26 अप्रील 2017

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

14 नवम्बर 2016

सं0 2219––श्री रामजानकी मठ, ग्राम–सिरिसियामाल, पो0–नोनेयाडिह, थाना–नकरदेई, जिला–पूर्वी चम्पारण पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4195 है। इस न्यास की एक शाखा मठ, श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम–महानागणी, अंचल–मझौलिया, जिला–पश्चिम चम्पारण में अवस्थित है।

इस न्यास का पर्षद के निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.01.16 को एवं दिनांक 20.01.16 को क्रमशः मूल मठ एवं शाखा मठ का स्थल जाँच किया गया जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा आपस में विमर्श कर न्यास समिति गठन हेतु सदस्यों का नाम दिया गया। पर्षदीय पत्रांक–1161 दिनांक 13.07.16 द्वारा अंचलाधिकारी आदापुर, जिला–पूर्वी चम्पारण से न्यास समिति गठन हेतु सदस्यों का नाम भेजने का अनुरोध भी किया गया, जो अब तक अप्राप्त है। शाखा मठ के जाँच के क्रम में न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त सदस्यों के नाम की सूचि चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक–1154 दिनांक 13.07.16 द्वारा थाना प्रभारी बेतिया मुफ्फसिल को भेजा गया है, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शाखा मठ के लिए अलग से न्यास समिति का गठन किया जाएगा। मूल मठ में न्यास समिति गठन हेतु जाँच के क्रम में स्थानीय लोगों से प्राप्त सदस्यों के नाम की सूचि चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक–1154 दिनांक 13.07.16 द्वारा थाना प्रभारी नकरदेई को भेजा गया। उक्त थाना द्वारा चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इनलोगों के विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत अंकित नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, संजय कुमार, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के जीर्णोद्धार, सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री रामजानकी मठ, सिरिसियामाल न्यास योजना होगा''** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **'' श्री रामजानकी मठ, सिरिसियामाल न्यास समिति होगी''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय–समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेश के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।

13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल – अध्यक्ष
(2) श्री रामएकबाल राय पे0 स्व0 रूदल राय – सदस्य
(3) श्री मदन ठाकुर पे0 श्री बहादुर ठाकुर – सदस्य
(4) श्री बिनोद महतो पे0 स्व0 राम दयाल महतो – सदस्य
(5) श्री सुनील साह पे0 श्री लक्ष्मी साह – सदस्य
(6) श्री बिरेन्द्र यादव पे0 श्री रूपनारायण यादव – सदस्य
(7) श्री रविन्द्र यादव पे0 श्री बीर शमशेर यादव – सदस्य
(8) श्री चैत सहनी पे0 स्व0 सप्तन सहनी – सदस्य
उपरोक्त सभी का पता :– ग्राम–सिरिसियामाल, पो0–नोनेयाडिह, थाना–नकरदेई, भाया–रक्सौल, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845305
(9) श्री नागेन्द्र पटेल पे0 स्व0 सत्यनारायण दास – सदस्य
(10) श्री रमेश ठाकुर उर्फ रामेश्वर ठाकुर पे0 स्व0 ज्योति नारायण ठाकुर – सदस्य
(11) श्री पारस सिंह पे0 जयकरण सिंह – सदस्य
उपरोक्त सभी का पता :– ग्राम–सिरिसियामाल, टोला–मुशहरवा, पो0–नोनेयाडिह, थाना–नकरदेई, भाया–रक्सौल, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845305

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल 05 (पॉच) वर्षो के लिए होगी और यह तत्काल प्रभावी होगी। उपर्युक्त सभी सदस्य एक बैठक कर सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद को सूचित करेंगे।

आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (**असाधारण**) 332–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in